न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2022/264

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. हेमलता पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/265

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. हेमलता पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय दिनांकः 18.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 47/2011 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 25.11.2011 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक निर्णय व डिकी तथा दूसरी अपील अंतिम निर्णय व डिकी की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 लगायत 04 द्वारा जर्ये अभिभाषक धारा 53, 54 के अन्तर्गत पेश किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा के माल में खाता सं0 165 की खसरा नंबर 01 की 1.42 हैक्टर, खसरा नंबर 16 की 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 17 की 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 31 की 0.09 हैक्टर, खसरा नंबर 32 की 0.10 हैक्टर कुल 05 किता की 1.76 हैक्टर आराजी स्थित है। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण उक्त वर्णित आराजी को शामलाती रूप से काश्त कर रहे है, तथा शामलाती रूप से ही मुनाफा काश्त पर जुपाते आ रहे है। परंतु वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच लगान अदायगी, फसल बंटवारा व मुनाफे की रकम को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादीगण के लिए अपने 1/3 हिस्से को राजस्व रिकार्ड में पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाना आवश्यक हो गया

है। वादीगण अपने 1/3 हिस्से को राजस्व रिकॉर्ड में पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाना चाहते है, जिसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण खसरा नम्बर 12 की रकबा 1.42 हैक्टेयर आराजी मे से उत्तरी तरफ की 0.60 हैक्टेयर आराजी पृथक से अपने पूर्वजों के समय यानि छोटूलाल के समय से ही आपसी पारिवारिक विभाजन के मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है, वादीगण पारिवारिक विभाजन से प्राप्त आराजी को पृथक करवाकर पृथक से लगान निर्धारित करवाने के अधिकारी है। अन्त मे ग्राम लटूरी की वादपत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 1 की रकबा 1.42 हैक्टेयर आराजी मे से 0.60 हैक्टेयर आराजी उत्तरी तरफ की वादीगण के खाते मे पृथक से दर्ज की जाकर पृथक से लगान निर्धारित किये जान एवं राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किये जाने का निवेदन किया। साथ ही विकल्प मे वादपत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजी में अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी 1/3 हिस्से की आराजी वादीगण के खाते मे पृथक से दर्ज की जाकर पृथक से लगान निर्धारित किये जाने एवं पृथक से कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दिनांक 25.11.2011 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन रिपोर्ट तहसील सांगोद से प्राप्त होने पर दावा वादी दिनांक 04.07.2014 को अंतिम डिक्री किया गया।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2011 तथा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी 01 लगायत 03 ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 में जारी आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 में जारी आदेशों को निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीले मियाद बाहर होने से अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीले मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को जारी रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक समय हो जाने से तामील मानी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते

बहस अंतिम नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांट बहस एकतरफा सुनी गई।

7. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ व कम लिखे पढ़े व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त निर्णय व डिक्री जैर अपील की कोई जानकारी नहीं रही है क्योंकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था, न ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था, वास्तविकता तो यह है कि रेस्पो0 कम 03 व 04 द्वारा छल कपट व षडयंत्रपूर्वक अपीलांट प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर अधीनस्थ न्यायालय के यहां जवाब दावा, वकालतनामा प्रस्तुत करवा दिया और अवांछित फायदा उठाने की नियत से उक्त वाद में प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करवा ली। अपीलांट को उक्त एकतरफा निर्णय, प्राथमिक व अंतिम डिक्री की जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 16.07.2019 को रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा उक्त निर्णय व प्राथमिक व अंतिम डिक्री बताकर वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी करने और अपीलांट के कब्जेकाश्त की भूमि से अपीलांट को बेदखल करने की धमकी देने पर हुई, जिस पर अपीलांट द्वारा दूसरे ही दिन दिनांक 17.07.2019 को नकल प्राप्त हुई और फिर अपीलांट द्वारा रूपयों का इंतजाम कर सम्यक तत्परता बरतते हुए यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है। अंत में अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को सद्भाविक मानते हुए विलंब अवधि को क्षमा कर दोनो अपीलों को अवधि मध्य माने जाने का निवेदन किया।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने उक्त दोनों अपीलों के अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री जैर अपील न्याय व संचिका में सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां कोई भी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था, ना ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था, वास्तविकता तो यह है कि रेस्पोडेन्ट क्रम–3 व 4 द्वारा छल कपट व षडयंत्रपूर्वक अपीलान्ट प्रतिवादीगण के फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी कर अधीनस्थ न्यायालय के यहां जवाब दावा, वकालतनामा प्रस्तुत करवा दिया और बदनियती व बेईमानी पूर्वक अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखकर पहले प्रारंभिक डिक्री और फिर अन्तिम डिक्री जर अपील पारित करवा ली, जबकि अपीलान्ट प्रतिवादीगण को उक्त प्रारंभिक व अन्तिम डिक्री की कोई भी जानकारी नहीं रही है। उक्त डिक्री अपीलान्ट की जानकारी व सुनवाई के बगैर एकतरफा रूप से पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। कानूनन अधीनस्थ न्यायालय पर भी यह विधिक दायित्व था कि यह अंतिम डिक्री जारी किये जाने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई किये जाने व उनकी आपत्तियां जानने हेतु अपीलान्ट / प्रतिवादीगण को नोटिस जारी

करते किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को कोई भी नोटिस जारी नहीं किये गये और कानूनी व प्रक्रिया की पालना किये बगैर ही अंतिम डिक्री जैर अपील पारित कर दी, तहसीलदार सांगोद पर भी यह विधिक दायित्व था कि वह विभाजन प्रस्ताव लाने से पूर्व पक्षकारान को नोटिस जारी करते किन्तु तहसीलदार द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव से पूर्व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही कोई सूचना दी गई। बल्कि पटवारी हल्का द्वारा वादीगण से मिलीभगत कर विभाजन प्रस्ताव पर मनमर्जी रूप से ही यह आलेखित कर दिया कि "प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करने से मना किया जबकि वास्तव में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादीगण को कोई नोटिस व सूचना ही नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि कानूनन विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर तैयार किया जाना चाहिये। जिसके कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील विभाजन सम्बन्धी नियमों के पूर्णतया विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव विभाजन सम्बन्धी नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना किये बगैर कब्जे की स्थिति के पूर्णतया विपरीत एवं रास्ते, सिंचाई आदि की व्यवस्था को देखे बगैर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण उस पर आधारित निर्णय व डिक्री जैर अपील अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर पक्षकारान के कब्जे को मध्यनजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु वास्तविकता यह है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव में दर्शायी गई खसरा नं० 1 की 0.60 हैक्टेयर की पश्चिमी हिस्से की भूमि पर अपीलान्ट का कब्जाकाश्त है। उक्त 0.60 हैक्टेयर की पश्चिमी हिस्से की भूमि अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा काफी मेहनत व पैसा खर्च कर विकसित की गई है। जिस पर वादीगण का कभी भी कोई भी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। स्वयं पटवारी हल्का द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव में यह आलेखित किया गया है कि "वर्तमान में वादीगण का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं है और वादीगण गांव में निवास नहीं करते हैं।" जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त व उनके द्वारा विकसित की गई उक्त 0.60 हैक्टेयर की पश्चिमी हिस्से की भूमि को विभाजन में वादीगण को नहीं दिया जा सकता किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 18 से 21 की अवहेलना कर पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से अंतिम डिकी पारित कर दी, जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन विभाजन के एक ही वाद में सभी सहखातेदारान के मध्य विभाजन किया जाना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सहखातेदारान के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन ना कर वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा सामूहिक रूप से अलग कर दिया, जिसके कारण निर्णय व डिक्री जैर अपील खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य कोई भी पारिवारिक विभाजन नहीं हुआ है, ना ही वादीगण का विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं रहा है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित किये जाने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला

कोटा के प्रकरण संख्या 47/2011 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 25.11.2011 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2014 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तथा संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 3क के अन्तर्गत प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना उचित होगा। अपीलांटगण द्वारा जवाबदावा दिनांक 25.11.2011 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के हस्ताक्षर भी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.07.2011 पर अंकित है कि प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 की ओर से श्री कृष्ण मुरारी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। आदेशिका दिनांक 25.11.2011 पर अंकित है कि प्रतिवादीगण की ओर से श्री कृष्ण मुरारी एडवोकेट ने इकबाली जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट प्रतिवादी सं0 01 से 03 रामपाल, रामप्रसाद व मोहनी बाई द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट प्रतिवादीगण को प्रारंभ से ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद की संपूर्ण जानकारी थी। अपीलांट का यह कथन कि विश्वसनीय नहीं है कि उनसे जबरदस्ती अंगुठे/हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर वकील पक्षकारान को उपस्थित बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.07.2014 में भी वकील पक्षकारान का उपस्थित होना अंकित किया गया है। उससे स्पष्ट है कि अपीलांटगण अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारंभिक डिकी का निर्णय दिनांक 25.11.2011 में हुआ। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 09.08.2019 को हुई। जो लगभग 7 वर्ष 8 माह 15 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/अंतिम डिकी दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 09.08.2019 को की गई है, जो लगभग 5 वर्ष 1 माह 5 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा उक्त मियाद को क्षमा करने हेतु प्रा. पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वह ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व कम पढ़े लिखे व्यक्ति है तथा रेस्पो0 कम 03 व 04 द्वारा छल कपट व षडयंत्रपूर्वक अपीलांट प्रतिवादी के फर्जी हस्ताक्षर व अंगुठा लगाकर अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा और वकालतनामा प्रस्तुत करवा दिया। अपीलांट को 16.07.2019 को प्रश्नगत निर्णय व डिकी की जानकारी होना अंकित किया गया है। परन्तु हमारे मत में अपीलांट के धारा 05 लिमिटेशन एक्ट में अंकित कथन उचित प्रतीत नहीं होते। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में वादीगण अथवा रेस्पो0 03 व 04 के विरूद्ध कोई कार्यवाही की हो। ऐसा पत्रावली में कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय से राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील करने की समयावधि 60 दिवस है। अपीलांटगण को प्रारंभ से ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण की समुचित जानकारी होने के पश्चात् भी प्राथमिक डिकी के 7 वर्ष 8

माह 15 दिन बाद अपील प्रस्तुत की गई है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध लगभग 5 वर्ष 1 माह बाद न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत की गई है। गंभीर रूप से विलंब से पेश अपील में अपीलांटगण कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण प्रस्तुत नहीं कर पाए। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट गंभीर विलंब का समुचित एवं पर्याप्त कारण साबित करने में असफल रहा है। प्रथम दृष्ट्या गुणावगुण पर भी कोई ठोस तर्क/दस्तावेज अपीलांटगण प्रस्तुत नहीं कर पाए। अतः दोनों अपीलों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। चूंकि अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया है। अतः अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने के कारण इसमें आगे गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने के कारण खारिज की जाती है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनो अपीलों मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें (अपील संख्या 2022/264 व अपील संख्या 2022/265) खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 47/2011 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2011 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2014 यथावत रखी जाती है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/264

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. हेमलता पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

—रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 47/2011

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. हेमलता पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

——प्रतिवादीगण

अपील संख्या : 2022/265

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा स्व0 लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. हेमलता पुत्री स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी स्व0 छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 47/2011

1. कृष्णमुरारी आत्मज छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. ज्योति पुत्री छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

3. हेमलता पुत्री छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. कौशल्या बाई पत्नी छोटूलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. रामपाल आत्मज मथुरालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामप्रसाद आत्मज लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
3. मोहनी बाई बेवा लटूरलाल जाति धोबी, निवासी ग्राम लटूरी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

——प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद सख्या 47/2011 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद, जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.11.2011 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2014 के विरूद्ध उक्त अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.11.2011 एवं अंतिम निर्णय व डिकी** दिनांक **04.07.2014** त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपीलें तारीख 18.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीलों में विद्वान् अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीले अपील संख्या 2022/264, एवं 2022/265 गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित **पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.11.2011 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 04.07.2014** बहाल रखे जाते है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिकी आज तारीख 18.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा